16/8/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीया उपस्थित विपक्षीगण
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प०
किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर
आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध
एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है
वकील प्रार्थीया का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 171/24 प्रा०पत्र

1– श्रीमती नान्दू प/० श्री गोदू बैरवा निवासी – चांरनेड तहसील – माण्डल [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री कीतर s/० श्री सुखदेव जाट निवासी – चांरनेड तहसील – माण्डल (वगैरा)
[प्रार्थना पत्र अनुसार]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 16.8.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चांरनेड पटवार हल्का चांरनेड तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 1947/870, 715/1 कुल किता 02 रकबा 1.7579 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.07.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चांरनेड पटवार हल्का चांरनेड तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1947/870, 715/1 कुल किता 02 रकबा 1.7579 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 700 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा